न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश – **आलोक सुरोलिया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आप. विविध जमानत आवेदन सं **167/2026**

सी.आई.एस. नंबर **159/2026**

सुनील पुत्र भोजराज, उम्र 18 साल 2 माह, निवासी नई आबादी असनावर, पुलिस थाना असनावर जिला झालावाड (राज.) **-प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य। **-अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **27/2026** पुलिस थाना **असनावर**
अपराध अंतर्गत **धारा 115(2), 109(1) बी.एन.एस.**

उपस्थित

1.श्री दिलराज मीणा, श्री चेनसिहं अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2.श्री नरेन्द्र तोमर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक 12.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का **प्रथम** प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **धारा 483 B.N.S.S.** में प्रस्तुत हुआ है, जिनकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.02.2026 को आहत/परिवादी अलकेश ने पुलिस के समक्ष एस.आर.जी. अस्पताल झालावाड में भर्ती रहते हुए ने पुलिस के समक्ष एक पर्चा बयान इस आशय का दिया कि कल दिनांक 13.02.2026 को समय करीब 10.30 पी.एम. की बात हैं। उसकी पालतू कुत्ती रातादेवी रोड पर बने ढाबा पर छोड रखी थी, उसी को देखने के लिए व ढाबे पर खाना खाने के लिये वह, भरत व ललित उर्फ लक्की गये थे। जैसे ही वे ढाबे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पालतू कुत्ती के साथ सुनील पुत्र भोजराज निवासी असनावर व उसके तीन अन्य साथी मिलकर मारपीट कर रहे थे। उन्होंने विरोध किया तो सुनील ने जान से मारने की नियत से चाकू निकाल कर उसके मारी जिसकी दायी तरफ कमर से ऊपर चोट आई, खून निकल आया। भरत बीच-बचाव करने आया तो उसके भी जान से मारने की नियत से बायी तरफ कमर से ऊपर चाकू की मारी जिससे खून निकल आया। ललित उर्फ लक्की भी बीच-बचाव करने आया तो उसके साथ भी सुनील द्वारा बहुत मारपीट की गई। उनका ईलाज चल रहा है। इत्यादि। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त को **दिनांक 16.02.2026** को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभी प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

3. बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसको झूंठा फंसाया गया है। उससे कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व बाद में आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसके, बाद जमानत भागने-फरार होने अथवा गवाहान को डराने धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 13.02.2026 को 10.30 पी.एम. के करीब अलकेश के **सुनील द्वारा चाकू की दायी तरफ कमर से ऊपर चोट मारने,** भरत के बायी तरफ कमर से ऊपर चाकू मारने, ललित उर्फ लक्की के साथ मारपीट करने के **धारा 115(2), 109(1) बी.एन.एस.** के तहत दंडनीय गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाए गए है। केस डायरी पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन में वर्णित आहतगण अलकेश व भरत के धारदार हथियार व ललित के कुंद हथियार की चोटें पाई गई है जिनकी बाद एक्सरे रिपोर्ट निम्नप्रकार है

आहत अलकेश

According To CT Scan And Sonography report From Higher Centre Injury is Grievous In Nature

आहत भरत

According to CT Scan And Sonography Report From Higher Centre Injury Is Grievous In Nature

आहत ललित

Injury No.1, 1. ABRASION OF SIZE (3.5X2.5 cm) RIGHT SIDE OF UPPER BACK THORACIC REGION

7. केस डायरी के साथ संलग्न आहत अलकेश के फोटोग्राफ के अनुसार उसके पेट में एक चोट कारित होना प्रकट होता है जिसमें से पेट की आतों तक का भी बाहर आ जाना स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस प्रकरण में गवाहान द्वारा अपने पुलिस बयानों में पर्चा बयान के अनुसार ही उसकी प्रथम दृष्टया पूर्णतया पुष्टि करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध कथन किए गए है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। हालांकि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रेकार्ड **निल** बताया गया है परंतु यदि इस प्रकार के गंभीर प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया गया तो इससे इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि होने, प्रार्थी/अभियुक्त के नवीन अपराधों में लिप्त होने तथा अनुसंधान के प्रभावित होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों, प्रार्थी/अभियुक्त के आचरण व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत **नहीं** होता है।

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **सुनील** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** इस प्रकरण में अ**स्वीकार** कर **खारिज** किया जाता है। उपरोक्त निष्कर्ष, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष नहीं है और केवल जमानत आवेदन को तय करने हेतु लिया गया निष्कर्ष मात्र है।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

9. आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

आप.वि.जमानत आवेदन संख्या 167/2026

सुनील बनाम राज.राज्य

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL MAJID

Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by ABDUL MAJID
Date: 2026.03.13 16:33:12 +0530

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।